प्रेस विज्ञप्ति

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा चालू खाते और बचत खाते के ट्रांजेक्शन सेवा प्रभार पर छूट

पुणे : 23.03.2020 बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने चालू खाते और बचत खाते के ट्रांजेक्शन सेवा प्रभारों पर छूट प्रदान की जिसमें अन्य बैंकों के एटीएम पर गैर- वित्तीय ट्रांजेक्शन/ नकदी आहरण, डिजिटल चैनल के माध्यम से एनईएफटी प्रेषण और शाखा से नकदी आहरण (गैर होम शाखा सहित) शामिल हैं। सेवा प्रभारों पर यह छूट 24.03.2020 से 15.04.2020 तक उपलब्ध होगी।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपने ग्राहकों को अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए यथासंभव डिजिटल चैनल का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने COVID – 19 के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं।